आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय
(जिला विधि शाखा)

06-02-2016
04-03-2016

समपहरण वाद संख्या--02 / 2014-15
राज्य बनाम पवन कुमार चौधरी
आदेश।

उक्त समपहरण वाद लखीसराय थाना कांड सं0--476 / 14, दिनांक--17.08.2014 के आलोक में संधारित किया गया है। जिसके अंतर्गत जप्त खाद्यान्न 60 बोरा(प्रत्येक बोरा का वजन 50 किलो) अरवा चावल जप्त हुआ है। जप्त खाद्यान्न पवन कुमार चौधरी, ज0वि0प्र0 विक्रेता, वार्ड नं0--4, इंगलिश, विद्यापीठ चौक, लखीसराय का बताया गया है, जिसे कालाबाजारी के उद्देश्य से लखीसराय बाजार में ले जाया जा रहा था, परन्तु गुप्त सूचना के आधार पर पणन पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा जप्त कर लिया गया तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक--671 / विधि, दिनांक--25.08.2014 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को जप्त खाद्यान्न को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक--105 / आ0, दिनांक--29.02.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जप्त 30 क्विंटल चावल को स्थानीय उपभोक्ताओं के बीच वितरण कर प्राप्त कुल राशि मो0 8000=00 (आठ हजार) रू0 उचित शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

विपक्षी पवन कुमार चौधरी को इस न्यायालय ज्ञापांक--770 / विधि, दिनांक--22.09.2014 द्वारा नोटिस भेजा गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक--16.12.2015 को समर्पित आवेदन में स्पष्ट किया गया कि जप्त खाद्यान्न विपक्षी पवन कुमार चौधरी का नही है एवं उनका कोई दावा उक्त जप्त खाद्यान्न पर नही है।

राज्य के तरफ से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जप्त खाद्यान्न पर किसी प्रकार का दावा नहीं किये जाने पर जप्त खाद्यान्न को समपहृत किया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि जप्त खाद्यान्न विपक्षी पवन कुमार चौधरी का नहीं है। अतः उपरोक्त जप्त खाद्यान्न की राशि को समपहृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को भेजें तथा इस आदेश की प्रति लखीसराय जिला के वेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे।

लेखापित / संशोधित

4/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

4/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक--163 विधि, दिनांक--04-3-16

प्रतिलिपि -- अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।